

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....
सं०सं०-४/नि०स्था०(पेशन/उपादान)-०७/१४

प्रेषक :-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार पटना।

विषय :-

अन्तिम रूप से राज्य आवंटन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती बिहार राज्य में योगदान करने वाले कर्मी श्री सरवीन कुमार दास, सेवा-निवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक का झारखंड राज्य में पदस्थापन अवधि (दिनांक-०१.०४.०७ से ३०.०९.१० तक) का ए०सी०पी/एम०ए०सी०पी० के फलस्वरूप बकाये अन्तरराशि कुल-२०६४२ बीस हजार छः सौ ब्यालिस रुपये मात्र की संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृति।

महाशय,

(२). स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-०४.२२/२०११-८९६६१ वि(२) पटना दिनांक-२८.०८.२०१२ के आलोक में होगा।

(३). उक्त राशि का भुगतान विपत्र लोक लेखा शीर्ष ८७९३-अन्तरराज्यीय उचन्त लेखा, लघु शीर्ष-१२५ झारखंड के साथ लेन-देन, उपशीर्ष-०००१ अन्तरराज्यीय उचन्त लेखा के अन्तर्गत विकलित होगा तथा विपत्र कोड-L८७९६००१२५०००१ है।

(४). अन्तरराशि की गणना उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड, रांची के पत्रांक-७३७ दिनांक-१९.०३.१८ एवं उसके साथ निदेशक उद्योग झारखंड रांची के पत्रांक-४७१ दिनांक-०३.०२.१८ के साथ संलग्न विवरणी के आधार पर किया गया है।

(५). उद्योग निदेशक बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-५९८ दिनांक-१०.०२.१६ के आलोक में बकाये की स्वीकृति दी गई है।

(६). वित्त विभाग बिहार, पटना के स्वीकृति के उपरान्त अन्तरराशि का भुगतान किया जायेगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

